# श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) अधिनियम, 1954

## (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1954 ई0)

# SRI HAR PRASAD SHIKSHA NIDHI, BANARAS (CONFIRMATION OF COMPROMISE) (TRANSFER OF PROPERTY) ACT, 1954

## (U.P. Act No. XII of 1954)

# श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) अधिनियम, 1954[1]

**[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1954 ई०]**

**[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1954 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 31 मार्च, 1954 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।**

**भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 19 मई, 1954 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 जून, 1954 ई0 को प्रकाशित हुआ।]**

**श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि, बनारस, को इलाहाबाद के सबार्डिनेट जज के न्यायालय की डिक्री संख्या 13, 1926 की भरपाई के रूप में कुछ सम्पत्तियों के संक्रामण की व्यवस्था के हेतु समझौते को कार्यान्वित करने का**

## अधिनियम

**बनारस निवासी श्री शिवप्रसाद गुप्त को माननीय राजा मोतीचन्द, नाईट, सी० आई० ई०, इत्यादि के विरूद्ध 13 लाख, अस्सी हजार, सात सौ पचाहत्तर रूपये, साढ़े सात आने की साधारण धन डिक्री संख्या 13,1926 सबार्डिनेट जज, इलाहाबाद के न्यायालय से प्राप्त हुई थी ;**

उक्त श्री शिव प्रसाद गुप्त ने उक्त डिक्री को श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि, अपने द्वारा बनाये ट्रस्ट के नाम, (जिसे यहां पर आगे चलकर "ट्रस्ट" कहा गया है) अभ्यर्पित (assign) कर दिया ;

श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि, डिक्रीदार एक पक्ष तथा मदयूनों द्वितीय पक्ष के मध्य अन्त में समझौता हो गया जिससे मदयूनों ट्रस्ट द्वारा गृहीत उक्त डिक्री की भरपाई में, परिशिष्ट 1 और 2 में संलग्न अनुसूचियों में वर्णित सम्पत्ति ट्रस्ट को संक्रामित करने के लिये राजी हो गये ;

कर्जदारों ने यू०पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 4 के अधीन प्रार्थना–पत्र दिये और उक्त प्रार्थना–पत्र उक्त ऐक्ट की धारा 6 के अधीन स्पेशल जज के पास भेज दिये जाने पर कर्जदार उक्त ऐक्ट की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसार कलेक्टर की स्वीकृति के बिना संपत्ति का संक्रामण नहीं कर सकतें थें, इसलिये ऋणीगण ने दो पृथक प्रार्थना–पत्र दिये थे जिनमें से एक :–

1–बा० गोकुल चन्द

2–बा० राज कुमार

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 2 मार्च, 1954 का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

3–बा० विजय कुमार

4–बा० ललित कुमार गुप्त

5–बा० प्रमोद कुमार गुप्त

6–बा० सरोज कुमार गुप्त

ने और इनकी ओर से और दूसरा

1–बा० ज्योति भूषण गुप्त

2–बा० अनिल कुमार

3–बा० सुशील कुमार

4–बा० चन्द्र शेखर

5–बच्चा ने और इनकी ओर से,

16 मई, 1951 को स्वीकृति के लिये कलेक्टर के पास दिया गया, किन्तु कलेक्टर ने कर्जदारों (debtors) के विरूद्ध कुछ दावेदारों की आपत्ति पर स्वीकृति नही दी, और उक्त मदयूनों (judgment debtors) ने कलेक्टर की उक्त आज्ञा से असन्तुष्ट होकर कमिश्नर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ;

उक्त अपीलों की सुनवाई 1950 ई० के उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश संबंधी अधिनियम की धारा 10 के अधीन रोक दी गई थी और वे अब भी विचाराधीन है, और हित रखने वाले पक्षों ने राज्य सरकार से निवेदन (representation) किया है कि समझौता (compromise) वैध रूप से हुआ था और स्वीकृत न देने की कलेक्टर की आज्ञा दोषपूर्ण थी और ट्रस्ट, जो एक सार्वजनिक और राष्ट्रीय संस्था है, के पक्ष में उक्त सम्पत्तियों का संक्रमण (transfer) कार्यान्वित किया जाय ;

और यह आवश्यक है कि उक्त समझौते को कार्यान्वित किया जाय ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : ––

**संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ**

**1**–(1) यह अधिनियम श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि, बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) अधिनियम, 1954 कहलायेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

**परिभाषाएं**

**2**–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में "निहित होने का दिनांक" का तात्पर्य 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट (referred) दिनांक से है ।

**समझौता पुष्टीकरण**

**3**–दिनांक 24 अक्टूबर, 1950 को ट्रस्ट और कर्जदारों (debtors) के मध्य हुआ समझौता (जिसकी प्रति इससे संलग्न परिशिष्ट 1 में दी गई है) एतद्द्वारा पुष्ट (confirm) किया जाता है और वह दिनांक 24 अक्टूबर, 1950 से [जिसे यहां पर आगे चल कर "निर्दिष्ट दिनांक" (specified date) कहा गया है] प्रभाव शाली होगा ।

**समझौता–पत्र के पुष्टीकरण के परिणाम ।**

**4**–धारा 3 के उपबन्धों की व्यापकता (generality) को न बाधित करते हुए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित (declared) किया जाता है कि ––

(क) परिशिष्ट 1 और 2 में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट सम्पत्तियों में कर्जदारों के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व निर्दिष्ट दिनाँक पर ट्रस्ट को संकान्त तथा उसमें निहित हो जायेंगे और उक्त ट्रस्ट को संक्रान्त तथा उसमें निहित समझे जायेंगे ;

(ख) सबार्डिनेट जज, इलाहाबाद के न्यायालय की 13,80,775 रू० 7 आ० और 6 पाई की कर्जदारों के विरूद्ध साधारण धन डिक्री संख्या 13,1923, सभी प्रयोजनों एवं अवसरों के निमित्त निर्दिष्ट दिनांक पर यथोचित रूप से भरपाई की हुई समझी जायगी ;

(ग) इस प्रकार संक्रान्त सम्पत्ति से, निर्दिष्ट दिनांक से निहित होने के दिनाँक के ठीक पहले के दिनांक तक की अवधि में, उत्पन्न अथवा मिलने वाले लगान, अबवाब या अन्य आय या लाभ अथवा उनके अंश जिन्हें कर्जदारों ने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व वसूल किये हों, इससे पहले किसी बात के उल्लिखित होते हुये भी उन्हीं के होगें और उन्हीं के पास रहेंगे और अवशिष्ट भाग ट्रस्ट का होगा और ट्रस्ट द्वारा, न कि कर्जदारों द्वारा, उसकी वसूली की जा सकेगी;

(घ) निर्दिष्ट दिनांक से निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनाँक तक की अवधि में किये गये "लीज" अथवा पट्टे से भिन्न परिशिष्ट 1 और 2 में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट सम्पत्ति का कोई भी संक्रामण निर्दिष्ट दिनांक से निरर्थक हो जायगा, और

**यू० पी० ऐक्ट सं० 25, 1934 ।**

(ड़) यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 4 के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न, एतद्द्वारा संक्रान्त सम्पत्ति के संबंध में कर्जदारों द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत सभी वाद और व्यवहार जो इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक पर आदिम न्यायालय, अपील अथवा पुरनीक्षण के न्यायालय में अथवा अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, ट्रस्ट द्वारा जारी रखे जा सकेंगे और उक्त न्यायालय अथवा प्राधिकारी, ट्रस्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर कर्जदारों के स्थान पर ट्रस्ट को पक्ष बना देगा, किन्तु ट्रस्ट ऐसे व्यय (costs) देगा, जिसे न्यायालय या प्राधिकारी आवश्यक या उचित समझे ।

**स्पष्टीकरण**–1950 ई० के जमीदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम के अधीन प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बद्ध कार्यवाही में यह खण्ड प्रवृत्त (apply) होगा ।

(च) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम के अध्याय 3 और 5 के अधीन प्रतिकर एवं पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण के प्रयोजनों के लिये, एतव् द्वारा संक्रामित सम्पत्तियों मे कर्जदारों के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, उक्त अधिनियम में किसी विरोधी उपबन्ध के होते हुये भी ट्रस्ट के और उसमें निहित समझे जायेंगे, और

(छ) उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे कर्जदारों के अधिकार, आगम और स्वत्व के विषय में 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम के अधीन मिलने वाला प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान ट्रस्ट को देय होगा और उसे ही मिलेगा, न कि कर्जदारों को ।

**इस अधिनियम को प्रचलित करने से सम्बद्ध आज्ञाएं।**

**5**–राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, इस अधिनियम से धारा 3 के अधीन संक्रामण को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने एवं यथावश्यक आनुषंगिक तथा अन्य विषयों के निमित्त, ऐसी व्यवस्था कर सकती है जो उसे आवश्यक और उचित प्रतीत हो ।

transfer the properties mentioned in schedule no. 1 attached to this application.

Therefore, it is respectfully prayed that this Court may be pleased to declare that the compromise is for the benefit of such of the applicants as are, minors and is also for the benefit of the general body of creditors and to sanction and record the compromise. The Court may be further pleased to send a copy of the compromise to the Collector of Banaras District and to obtain his sanction for the transfer by the applicants to the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi of the properties mentioned in Schedule no. 1 attached to this petition.

Dated 24-10-1950.

(Sd.) 1. Gokul Chand.

2. Raj Kumar for self and guardian of my son Kush Kumar.

3. Bijay Kumar Gupta for self and as Guardian of my son Manoj Kumar.

4. Lalit Kumar Gupta for self and as Guardian of my sons Ganesh and Sunil Kumar.

5. Promod Kumar. (IN HINDI)

6. Saroj Kumar Gupta.

Counsel for Applicants.

SCHEDULE I

Half of Zamindari including sir, sayar, Jungle and all other rights appertaining thereto in the following villages :

Total Annual profit valued at Rs. 57,000 (Rupees Fifty-seven thousand only).

**DISTRICT JAUNPUR**

**Tehsil Shahganj, Pargana Ungali**

| | Name of villages | Extent of the share | Government Revenue in1356 Fasli | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rs. | a. | p. |
| 1. | Aharpur … … … | Sixteen annas | 342 | 12 | 8 |
| 2. | Pura Bhulan … … … | Ditto | 95 | 9 | 9 |
| 3. | Tisouli … … … | Ditto | 599 | 11 | 1 |
| 4. | Udbo Patti … … … | Ditto | 73 | 12 | 5 |
| 5. | Puredala … … … | Ditto | 235 | 6 | 10 |
| 6. | Salempur … … … | Ditto | 159 | 15 | 11 |
| 7. | Chak Nohar … … … | Ditto | 24 | 11 | 8 |
| 8. | Dharuali Koshal … … … | Ditto | 227 | 6 | 11 |
| 9. | Dharuali … … … | Ditto | 169 | 14 | 3 |

| | Name of villages | Extent of the share | Government Revenue in1356 Fasli | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rs. | a. | p. |
| 35 | Siristi ... ... ... | Ditto | 542 | 14 | 10 |
| | **DISTRICT GONDA** | | | | |
| | **Tehsil Utroula, Pargana Mankapur** | | | | |
| 36 | Rendoura ... | Sixteen annas | 591 | 6 | 4 |
| 37 | Balapur Sonthia ... ... ... | Ditto | 542 | 14 | 10 |
| 38 | Bankasya ... ... ... | Ditto | 841 | 8 | 0 |
| 39 | Khas Bhatania Uraph Garhi ... | Ditto | 730 | 0 | 0 |
| 40 | Pure Pandit Mathaldari ... | Ditto | | | |
| 41 | Pikoura ... ... ... | Ditto | 550 | 0 | 0 |
| 42 | Birepur ... ... ... | Ditto | 1,222 | 0 | 0 |
| 43 | Nandgaon (Jogapur) ... ... | Ditto | 401 | 8 | 0 |
| 44 | Harana Tayar ... ... ... | Ditto | 1,585 | 0 | 0 |
| 45 | Sohans ... ... ... | Ditto | 1,210 | 0 | 0 |
| 46 | Khodadi ... ... ... | Ditto | 291 | 8 | 0 |
| 47 | Harahawa ... ... ... | Ditto | 880 | 0 | 0 |
| | **Tehsil and Pargana Gonda** | | | | |
| 48 | Mahadeiya ... ... ... | Ditto | 463 | 12 | 0 |
| 49 | Gorava Kaunango ... ... ... | Ditto | 418 | 12 | 0 |
| | **DISTRICT JAUNPUR** | | | | |
| | **Tehsil Jaunpur, Pargana Rari** | | | | |
| 50 | Barbaspur ... ... ... | Ditto | 326 | 13 | 3 |
| 51 | Dhawari ... ... ... | Ditto | 524 | 7 | 2 |
| 52 | Chhangapur ... ... ... | Ditto | 494 | 8 | 6 |
| 53 | Jangipur Kalan and Khurd ... | Ditto | 11 | 2 | 0 |
| 54 | Bikkhopur ... ... ... | Ditto | 304 | 10 | 0 |
| 55 | Belawan ... ... ... | Ditto | 1,008 | 14 | 0 |
| 56 | Kharouna ... ... ... | Ditto | 18 | 4 | 6 |
| 57 | Dariaoganj ... ... ... | Ditto | 1,418 | 8 | 0 |

# परिशिष्ट 2

## IN THE COURT OF THE SPECIAL JUDGE FIRST GRADE, BARANAS

*E.E. Act case no. 50 of 1936*

**B. Jyotibhushan Gupta and others — Landlord applicants**

**THE HUMBLE APPLICATION OF—**

1. B. Jyoti Bhushan Gupta, son of B. Mangla Prasad, aged about 35 years.
2. B. Anil Kumar, son of B. Jyoti Bhushan Gupta, aged about 12 years.
3. B. Shushil Kumar, son of B. Jyoti Bhushan Gupta, aged about 10 years.
4. B. Chandra Shekhar, son of B. Jyoti Bhushan Gupta, aged about 8 years.
5. Bachcha, son of B. Jyogi Bhushan Gupta, aged about one year.

All under guardianship of their mother Srimati Sulabha Devi, wife of B. Jyoti Bhushan Gupta, all by caste Agarwala and resident of Azmalgarh Palace, Banaras landlord applicants.

1. That on 21-10-36 the applicants filed an application under the provisions of the Encumbered Estates Act.
2. That in the aforesaid application and written statement dated 3-2-1937 under the Encumbered Estate Act a sum of Rs. 29,35,529-4-10 was alleged to be the liability of the applicants as well as of B. Gokulchand and his family.
3. That one of the claimants of applicants as mentioned in the aforesaid application is Shri Har Prasad Shiksha Nidhi and the amount of claim as mentioned in the claim filed by Shri Shiva Prasad Gupta predecessor-in-title of Shri Har Prasad Shiksha Nidhi on 9-7-37 was Rs. 13,75,201-6-0 as such the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi is the biggest claimant of the applicants.
4. That a compromise has been arrived at between the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi creditor no. 26-A and the applicants by which compromise the applicants are transferring their Zamindari property and some other properties a list of which is given in the schedule to this application and marked no. 1 in lieu of and satisfaction of the claim of the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi.
5. That the applicants are desirous of entering into similar compromise with such other claimants also whose claims are admitted by the applicants.
6. That it will be to the advantage of the applicants including the minors and all their creditors including Shri Har Prasad Shiksha Nidhi if permission is given to the applicants to enter into above stated compromise and to transfer the properties mentioned in schedule no. 1 attached to this application.

Therefore, it is respectfully prayed that this Court may be pleased to declare that the compromise is for the benefit of such of the applicants as are, minors

| | Name of villages | | | | Extent of the share | Government Revenue in1356 Fasli | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Sherpur | ... | ... | ... | Ditto | 846 | 3 | 3 |
| | | | | | | Rs. | a. | p. |
| 16. | Kapasia | ... | ... | ... | Ditto | 300 | 1 | 11 |
| 17. | Rasulpur | ... | ... | ... | Ditto | 613 | 4 | 0 |
| 18. | Chak Bankata | ... | ... | ... | Ditto | 39 | 3 | 5 |
| 19. | Bheoraha | ... | ... | ... | Ditto | 223 | 5 | 0 |
| 20. | Khwajapur | ... | ... | ... | Ditto | 240 | 12 | 8 |
| 21. | Banhara | ... | ... | ... | Ditto | 444 | 10 | 5 |
| 22. | Pataila Khas | ... | ... | ... | Ditto | 188 | 14 | 5 |
| 23. | Madarpur | ... | ... | ... | Ditto | 184 | 4 | 6 |
| 24. | Gulamipur | ... | ... | ... | Ditto | 299 | 0 | 11 |
| 25. | Mahammadpur *alias* Chak Gulamipur | | | | Ditto | 29 | 14 | 2 |
| 26. | Chak Mominha | ... | ... | ... | Ditto | 40 | 10 | 1 |
| | **Tehsil Kerakat, Pargana Kerakat** | | | | | | | |
| 27. | Naupur | ... | ... | ... | Ditto | 477 | 11 | 0 |
| 28. | Sohani | ... | ... | ... | Ditto | 568 | 0 | 9 |
| 29. | Kanwani | ... | ... | ... | Ditto | 743 | 1 | 3 |
| 30. | Jalalpur, District Allahabad | | | ... | Ditto | 100 | 1 | 6 |
| | **DISTRICT MIRZAPUR** | | | | | | | |
| | **Tehsil Chunar, Pargana Haveli** | | | | | | | |
| 31. | Tummal Ganj | ... | ... | ... | Ditto | 146 | 3 | 0 |
| 32. | Sujatpur | | | | | | | |
| 33. | Lakhouri | ... | ... | ... | Ditto | 8 | 10 | 6 |
| | **DISTRICT BANARAS** | | | | | | | |
| | **Tehsil Banaras, Pargana Jalhupur** | | | | | | | |
| 34. | Gaura Kalan and Gaura Khurd | | | ... | Ditto | 591 | 6 | 4 |
| 35. | Siristi | ... | ... | ... | Ditto | 542 | 14 | 10 |
| | **DISTRICT GONDA** | | | | | | | |
| | **Tehsil Utroula, Pargana Mankapur** | | | | | | | |
| 36. | Rendoma | ... | ... | ... | Sixteen annas | 511 | 8 | 0 |
| 37. | Balapur Sambha | ... | ... | ... | Ditto | 550 | 0 | 0 |
| 38. | Bankasaya | ... | ... | ... | Ditto | 841 | 8 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Sadipur | ... ... ... | Ditto | 195 | 1 | 4 |
| | **Tehsil Kerakat, Pargana Bealasi** | | | | |
| 63. Samoghar | ... ... ... | Ditto | 36 | 0 | 0 |
| 64. Keshopur | ... ... ... | Ditto | 351 | 0 | 0 |
| 65. Rajpur | ... ... ... | Ditto | 326 | 15 | 9 |

| Name of villages | | Extent of the share | Government Revenue in1356 Fasli | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rs. | a. | p. |
| | **Tehsil Mariahun, Pargana Mariahun** | | | | |
| 66. Nurpur Khas | ... ... ... | Ditto | 629 | 12 | 0 |
| | **DISTRICT BANARAS** | | | | |
| | **Tehsil Banaras, Pargana Kaswar** | | | | |
| 67. Aswari | ... ... ... | Ditto | 393 | 7 | 0 |
| 68. Kachnar | ... ... ... | Ditto | | | |
| | **Tehsil Chandauli, Pargana Narwan** | | | | |
| 69. Bharhani | ... ... ... | Ditto | 1,62 3 | 9 | 10 |
| 70. Bhaiakalan | ... ... ... | Ditto | 65 | 8 | 10 |

2. Half of the decree in original suit no. 88 of 1922 of the Court of the Subordinate Judge, Rae Bareli, the Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* Khan Bahadur Mohammad Wazih (Now B. Gokul Chand and others *Vs.* wife of Mirza Mohammad Wazih and others) decided on 21-8-25 which is at present under execution at Rae Bareli.

Annual profit valued at Rs. 2,500 (Rupees Two thousand and five hundred only).

3. Half of the decree in original suit no. 36 of 1928 of the Court of the Subordinate Judge, Fyzabad the Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* Devindra Bahadur Singh and others), decided on 17-1128 which is under execution at present at Fyzabad.

Annual profit valued at Rs. 500 (Rupees Five hundred only).